

मध्यप्रदेश शासन  
वित्त विभाग,  
मंत्रालय

कमॉक एल 1-10/316/2020/ब-7/डीएमसी/चार  
प्रति,

भोपाल दिनांक 31 मार्च 2020

- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन,  
शासन के समस्त विभाग,  
मंत्रालय, भोपाल ।
2. समस्त बजट नियंत्रण अधिकारी,  
मध्यप्रदेश भोपाल ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 - बजट आवंटन, व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना तथा चेक्स  
/ देयकों के आहरण के संबंध में दिशा-निर्देश ।

000

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोषालय से आहरण के लिए निम्नांकित व्यवस्था निर्धारित की जाती  
है :-

(I) लेखानुदान आवंटन -

2. मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2020 को मध्य प्रदेश विनियोग (लेखानुदान)  
अध्यादेश, 2020 (कमांक-2 सन् 2020 ) जारी किया गया है। इस अध्यादेश के द्वारा आगामी चार माह के  
आवश्यक व्ययों के लिये लेखानुदान प्राप्त किया गया है परिणामतः मांग संख्यावार बजट पुस्तकों का प्रकाशन  
नहीं किया गया है। मतदेय एवं भारित व्यय के लिये 1 अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक विभागवार  
आवंटित राशि का विवरण संलग्न है। यह आवंटन निम्नांकित शर्तों के अधीन है :-

- (i) मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 118 अनुसार वित्तीय वर्ष की समग्र आवश्यकता का अनुमान  
लगाने के पश्चात् ही उपलब्ध बजट आवंटन अनुसार सामग्री के क्रय करने की कार्यवाही की जानी  
चाहिये।
- (ii) मध्य प्रदेश वित्त संहिता भाग-1 के नियम 9 में वर्णित वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांतों तथा शासन  
के मितव्ययता संबंधी समय-समय पर जारी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये। बजट आवंटन  
से अधिक दायित्व निर्मित नहीं किये जावें।
- (iii) योजनाओं की राशि सक्षम वित्तीय समिति द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत ही आहरित की जाए।  
केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं में  
केन्द्र से धनराशि के प्राप्ति के पश्चात् ही केन्द्रांश तथा समतुल्य राज्यांश का आहरण कोषालय से किया  
जाना चाहिये । जिन योजनाओं / कार्यक्रमों में प्रतिपूर्ति के आधार पर राशि प्राप्त होती है, राशि व्यय  
होने के अधिकतम दो माह के अंदर उसकी प्रतिपूर्ति सुनिश्चित कराई जावे।

//2//

(iv) बजट अनुमानों में अपरीक्षित मदों में रखे गये प्रावधान के विरुद्ध व्यय, अन्य आदेश होने तक मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग के परिपत्र 347/आर 1703/चार/ब-1/2012, दिनांक 31.03.2017 में उल्लेखित सक्षम वित्तीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही किया जाये।

3. अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को आवंटित राशि की आयुक्त, कोष एवं लेखा के सर्वर पर प्रविष्टि की जायेगी।

4. नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं के अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने हेतु व्यय के लेखे प्रत्येक माह की 20 तारीख तक प्रेषित किया जावे।

5. लेखानुदान में केन्द्र क्षेत्र, केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं एवं मुक्त श्रेणी के व्ययों (देखें कण्डिका 6 (i)) के लिए प्रावधानित बजट का 80 प्रतिशत तथा शेष योजनाओं/मदों के लिए प्रावधानित बजट का 50 प्रतिशत जारी किया जा रहा है। कतिपय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा के उपरांत आवश्यकतानुसार आवंटन जारी किया जाएगा। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त, आवंटन की आवश्यकता हो तो विभाग द्वारा संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

## (II) व्यय की मासिक/त्रैमासिक कार्य योजना -

6. प्रशासकीय विभागों द्वारा किये जा रहे विभागीय व्ययों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है :-

(i) 'मुक्त' श्रेणी के व्यय - ऐसे व्यय जिन्हें वर्तमान में मासिक/त्रैमासिक/विशेष व्यय सीमा से मुक्त रखा गया हो। वेतन-भत्ते-मजदूरी/न्यायालयीन डिकी/छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति/प्राकृतिक आपदा/ऋण अदायगी आदि अतिआवश्यक व्ययों को मुक्त श्रेणी के व्यय में सम्मिलित किया गया है। ऐसे व्ययों पर मासिक/त्रैमासिक/विशेष व्यय सीमा लागू नहीं होगी। इस श्रेणी में सम्मिलित व्यय मद परिशिष्ट-2 में दर्शाई गई हैं।

(ii) सामान्य श्रेणी के व्यय (ऐसे समस्त व्यय जो 'मुक्त' श्रेणी में वर्गीकृत न हो)

7. पैरा 6(ii) अनुसार वर्गीकृत सामान्य श्रेणी के व्ययों के लिए व्यय सीमा निर्धारित करने के लिये निम्नांकित तीन प्रकार के नियंत्रण रहेंगे :-

(क) मासिक व्यय सीमा

(ख) त्रैमासिक व्यय सीमा

(ग) विशेष व्यय सीमा

7.1 जब तक विशेष व्यय सीमा नियत करने संबंधी आदेश, यदि कोई हो, में अन्यथा उल्लेखित न हो, सामान्य श्रेणी के व्ययों पर मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमाएं, दोनों पृथक-पृथक लागू होंगी।

### 7.2 मासिक व्यय सीमा -

मासिक व्यय सीमा बजट नियंत्रण अधिकारी (बी.सी.ओ.) पर लागू होगा। मासिक व्यय सीमा, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर बजट नियंत्रण अधिकारी बीसीओ को उपलब्ध शेष वार्षिक आवंटन की 10 प्रतिशत राशि होगी। निर्धारण का आधार परिशिष्ट-3 में दर्शाया गया है।

3 ✓

नोट – वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए लेखानुदान में प्रावधानित बजट के लिए प्रथम चार माह हेतु मासिक व्यय सीमा परिशिष्ट-3 में उल्लेखित सूचकांक (D) का 25 प्रतिशत होगी ।

### 7.3 त्रैमासिक व्यय सीमा –

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण, मुक्त श्रेणी एवं विशेष व्यय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध आवंटन को छोड़कर शेष वार्षिक आवंटन के आधार पर किया जायेगा । प्रथम दो त्रैमास में अधिकतम 45 प्रतिशत, प्रथम तीन त्रैमास में अधिकतम 70 प्रतिशत तथा (केवल) चतुर्थ त्रैमास हेतु अधिकतम 30 प्रतिशत व्यय सीमा निर्धारित की जाती है । निर्धारण का आधार परिशिष्ट-4 में दर्शाया गया है ।

त्रैमासिक व्यय सीमा प्रत्येक बजट शीर्ष स्तर (योजना स्तर तक) पर लागू होगी । योजना में पृथक-पृथक सेंगमेंट होने पर सेंगमेंट कोड अनुसार व्यय सीमा रहेगी ।

नोट – लेखानुदान की अवधि वित्तीय वर्ष के प्रथम चार माह की है जो कि प्रथम दो त्रैमास से कम अवधि है, इसलिए त्रैमासिक व्यय सीमाएँ लेखानुदान में प्रावधानित बजट आवंटन पर लागू नहीं होंगी । मुख्य बजट पारित होने के उपरांत आवंटन जारी किये जाने के पश्चात् त्रैमासिक व्यय सीमाएँ लागू होंगी ।

### 7.4 विशेष व्यय सीमा –

विशेष व्यय सीमा मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के स्थान पर निर्धारित की जाती है ।

वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रथम त्रैमास हेतु पूँजीगत कार्यों के लिए विशेष व्यय सीमा परिशिष्ट-5 के अनुसार होगी । विशेष व्यय सीमा, मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमाओं के स्थान पर लागू हैं, अर्थात् उल्लेखित अवधि के दौरान उल्लेखित व्यय शीर्षों पर केवल उल्लेखित व्यय सीमा लागू होंगी, मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमाएँ लागू नहीं होंगी ।

### 7.5 मासिक/त्रैमासिक सीमा में परिवर्तन –

अनुपूरक बजट प्रावधानों को शामिल करने के पश्चात् वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा परिवर्तित हो सकती है ।

यदि एक बीसीओ दूसरे बीसीओ को राशि हस्तांतरित करता है, तो दूसरे बीसीओ द्वारा हस्तांतरित राशि में से किए गए व्यय को, पहले बीसीओ की मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा के अंतर्गत माना जाएगा ।

यदि पुनर्विनियोजन द्वारा बजट शीर्षों में उपलब्ध आवंटन में परिवर्तन होता है तो उपरोक्त गणना अनुसार मासिक/त्रैमासिक व्यय सीमा में परिवर्तन हो सकता है ।

### (III) आहरण से छूट –


8. निर्माण कार्य विभाग/वन विभाग (WDDF /FDDF के देयकों) सहित केन्द्र सहायित (केन्द्र क्षेत्रीय एवं केन्द्र प्रायोजित) योजनाओं हेतु **रूपये 100 करोड़** एवं शेष योजनाओं हेतु **रूपये 25 करोड़** से अधिक राशि के देयकों के कोषालय से आहरण के लिए वित्त विभाग से पूर्व अनुमति की आवश्यकता निर्धारित की जाती है ।

- (i) सभी प्रकार के देयकों के आहरण हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जायेंगी।
- (ii) सभी प्रकार के आहरण में प्रत्यायोजित वित्तीय अधिकारों का अनिवार्यतः पालन किया जावे। जिन प्रकरणों में वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित नहीं है, उनमें वित्त विभाग से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने की पश्चात् ही शासकीय कोष से आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किया जायेगा।
- (iii) वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों में संलग्न परिशिष्ट-6 अनुसार जानकारी प्रेषित की जाये।

8.1 उपरोक्त निर्देश सभी श्रेणियों के व्यय (सामान्य, विशेष एवं मुक्त श्रेणी) पर लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(अजय चौबे)

संचालक बजट

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल दिनांक 31 मार्च 2020

पृ.क्र. एल1-10/317/2020/ब-7/डीएमसी/चार  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, भोपाल।
3. निबंधक, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर।
6. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर।
8. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/आडिट) 1/2 म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
10. आयुक्त, जनसंपर्क, संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
11. मुख्य सचिव के स्टॉफ आफीसर, मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल।
12. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश।
13. समस्त कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश।



(रूपेश कुमार पठवार)

उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

## लेखानुदान अध्यादेश 2020-21 में प्राधानित शेष आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

(राशि लाख में)

I								
बजट शीर्ष	प्राधान	उपलब्ध आवंटन	पुनर्विनियोजन से वृद्धि / कमी	कुल उपलब्ध आवंटन (5=3+4)	अद्यतन व्यय	शेष उपलब्ध आवंटन (7=5-6)	अतिरिक्त आवश्यक राशि जुलाई 2020 तक के लिये	आवश्यकता का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9

II कंडिका I में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोजन से किये जाने के संबंध में टीप दे ।

III यदि कंडिका I में उल्लेखित बजट शीर्ष केन्द्र समर्थित अथवा राज्य शासन से पृथक किसी अन्य एजेन्सी द्वारा समर्थित है, तो ऐसी सहायता राशि / केन्द्रांश प्राप्त होने की स्थिति की जानकारी दे ।

मुक्त श्रेणी के व्यय

	व्यय का प्रकार	बजट शीर्ष
(क)	जहाँ केन्द्रांश प्राप्त होने पर केन्द्रांश एवं राज्यांश आहरण एवं व्यय किया जाता है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>केन्द्र प्रायोजित योजनाएं (सेगमेंट कोड-701, 702 एवं 703)</li> <li>केन्द्र क्षेत्रीय योजनाएं (सेगमेंट कोड-801, 802 एवं 803)</li> </ul>
(ख)	छात्रवृत्ति/शिष्यवृत्ति के सभी मद।	<ul style="list-style-type: none"> <li>उद्देश्य शीर्ष:-# 41</li> </ul>
(ग)	जहाँ अनुदान से किसी संस्था में वेतन/भत्तों/ छात्रवृत्ति / शिष्यवृत्ति का भुगतान होता हो।	<ul style="list-style-type: none"> <li>उद्देश्य शीर्ष:-# 42, विस्तृत शीर्ष:-002(# 42-002) मांग संख्या-53, मुख्य शीर्ष-2202, योजना क्रमांक-8403, 2773, 3496, 9416, 0581 एवं 5216 के अन्तर्गत</li> <li>उद्देश्य शीर्ष :-# 42, विस्तृत शीर्ष:- 009 (# 42-009)।</li> </ul>
(घ)	जहाँ व्यय किसी घटना पर आधारित हो (जैसे- प्राकृतिक-आपदा, आरबीसी 6(4) के तहत भुगतान, राहत राशियां इत्यादि)	<ul style="list-style-type: none"> <li>मांग संख्या-58</li> </ul>
	अनुसूचित जाति/जनजाति निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुआवजा	<ul style="list-style-type: none"> <li>मांग संख्या-33, मुख्य शीर्ष 2225, योजना क्रमांक- 5191</li> <li>मांग संख्या-49, मुख्य शीर्ष 2225, योजना क्रमांक- 5191</li> </ul>
(ङ.)	न्यायालयीन आदेश/ डिक्री से संबंधित भुगतान	<ul style="list-style-type: none"> <li>उद्देश्य शीर्ष:- # 53</li> </ul>
(च)	शासन की ऐसी देयताएं, जहाँ निर्धारित तिथि को ही भुगतान होता है। (जैसे-ऋण भुगतान, ब्याज भुगतान एवं Annuity राशियां)	<ul style="list-style-type: none"> <li>मांग संख्या- . (Dot)</li> <li>मांग संख्या-.. (Double Dot)</li> <li>मांग संख्या-11,</li> <li>मुख्य शीर्ष-4851 एवं 4875, योजना क्रमांक -7341 एवं 7879 उद्देश्य शीर्ष -# 68</li> <li>मांग संख्या 06 मुख्य शीर्ष 6075 योजना क्रमांक - 6787, 6788, 6842 मुख्य शीर्ष 7610 योजना क्रमांक 9084, 9085</li> </ul>
(छ)	वैवेकिक अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> <li>मांग संख्या-1,</li> <li>मुख्य शीर्ष-2012 एवं 2013 उद्देश्य शीर्ष-# 44 योजना क्रं0-5839, 9060, 9064 एवं 9939</li> <li>मांग संख्या-24, मुख्य शीर्ष-5054, योजना क्रं.-6738</li> </ul>

		उद्देश्य शीर्ष-# 68
	व्यय का प्रकार	बजट शीर्ष
	स्वेच्छा अनुदान निधि (सांसद/विधायक)	<ul style="list-style-type: none"> <li>मांग संख्या-60, मुख्य शीर्ष-2515, योजना क्र०-1954 एवं 5272, उद्देश्य शीर्ष-44</li> <li>मांग संख्या 28 योजना क्रमांक -4007</li> </ul>
(ज)	स्थापना व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>उद्देश्य शीर्ष-# 11,12,14,15,16,17,18,19,21,24,25,26</li> <li>उद्देश्य शीर्ष-# 22, विस्तृत शीर्ष-001, 002, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 014</li> </ul>
(झ)	वित्त विभाग के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित मुक्त श्रेणी के अन्य व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>मांग संख्या -48 योजना क्रमांक 4406, 6818</li> <li>मांग संख्या-31 एवं 60 योजना क्रमांक -8284</li> <li>मांग संख्या -08 योजना क्रमांक 2617</li> </ul>

६

मासिक व्यय सीमा का निर्धारण

मासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगा:-

(A)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटौती उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
(B)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध उपरोक्त बजट आवंटन में से <b>कंडिका 6 (i)</b> अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय
(C)=	<b>कंडिका 7.4</b> के अनुसार विशेष व्यय सीमा (यदि कोई हो) हेतु उल्लेखित बजट शीर्षों, जिन्हें मासिक व्यय सीमा से छूट प्राप्त हो, का कुल आवंटन
(D)=	(A) - (B) - (C)
मासिक व्यय सीमा =	उपरोक्त (D) का 10 प्रतिशत



त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण

त्रैमासिक व्यय सीमा का निर्धारण निम्नानुसार गणना से किया जायेगा:-

(A)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को वित्त विभाग द्वारा कटौती उपरांत उपलब्ध कराया गया कुल बजट आवंटन (मुख्य बजट तथा अनुपूरक बजट सहित)
(B)=	बजट नियंत्रण अधिकारी (BCO) को उपलब्ध उपरोक्त बजट आवंटन में से <b>कंडिका 6 (i)</b> अनुसार मुक्त श्रेणी के व्यय
(C)=	<b>कंडिका 7.4</b> के अनुसार विशेष व्यय सीमा (यदि कोई हों) हेतु उल्लिखित बजट शीर्षों, जिन्हें त्रैमासिक व्यय सीमा से छूट प्राप्त हो, का कुल आवंटन
(D)=	<b>(A)-(B)-(C)</b>

त्रैमासिक व्यय सीमा निम्नानुसार होगी:-

अवधि / त्रैमास	त्रैमासिक व्यय सीमा
Q1+Q2	उपरोक्त (D) का 45%
Q1+Q2+Q3	उपरोक्त (D) का 70%
Q4 (केवल)	उपरोक्त (D) का 30%

निर्धारित विशेष व्यय सीमा (पूँजीगत)

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र०	विभाग	मॉग एवं मुख्य शीर्ष	मासिक विशेष व्यय सीमा			
			अप्रैल 2020	मई 2020	जून 2020	जुलाई 2020
1	लोक निर्माण	24,67-4059,4216,5054	260	530	530	530
2	जल संसाधन	23,45-4700,4701,4702,4705,4711	225	450	450	450
3	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20-4215	150	290	290	290
4	नर्मदा घाटी विकास	48-4700,4701,4801	160	325	325	325
5	नगरीय विकास एवं आवास	22-4216,4217	45	85	85	85
6	अनुसूचित जनजाति	33-4202,4225	50	105	105	105
7	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	30-4515 53-4217,4515	170	345	345	345
8	चिकित्सा शिक्षा	52-4210	40	85	85	85

नोट - यह विशेष व्यय सीमा ऊपर वर्णित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत आने वाली सभी मदों के लिये है।

वित्त विभाग में प्रस्तुत किये जाने वाले आहरण अनुमति के प्रस्तावों के लिए निर्धारित प्रपत्र

क्र०	विषय	विवरण
1	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम (DDO) जिनके द्वारा आहरण किया जायेगा ।	
2	कोषालय का नाम जिसमें आहरण हेतु देयक प्रस्तुत किया जायेगा ।	
3	बजट प्रावधान, आवंटन, अद्यतन व्यय एवं शेष राशि	
4	यदि राशि आहरण कर बैंक खातों में रखी जावेगी तो योजनांतर्गत संचालित बैंक खातों की जानकारी ( अंतिम शेष सहित)	
5	यदि राशि आहरण कर बैंक खातों में नहीं रखी जावेगी तो इस हेतु प्रमाण-पत्र दें ।	
6	अन्य	

६

नोट – आहरण अनुमति के प्रस्तावों के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति आदेशों की प्रति संलग्न की जाए ।